...का मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पूरण बनाम छोटेलाल मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पत्रावली में आदेश सुनाया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपनी अप्रार्थीगण के साथ मद संख्या 2 में वर्णित सहखातेदारी की भूमि के तकासमा के दावे के साथ इस आशय से पेश कि है कि प्रार्थी का मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से आराजी ख.नं 289 पर बाहमी बटवारे के आधार पर कब्जा है एवं प्रार्थी द्वारा आराजी ख.नं 289 में रहवास व पशुबाड़ा इत्यादि बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण 289 के लिए आराजी ख.नं 288 में से होकर निकलने वाले रास्ते में व्यवधान पैदा करते हैं एवं मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का बंटवारा करवाने के लिए भी अप्रार्थीगण सहमत नहीं है एवं प्रार्थी के कब्जे-काश्त में मुदाखलत - बेदखल करने की धमकी देते हैं एवं 289 के लिए	

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखं...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.
	आराजी मे प्रार्थी के हिस्से 1/2 तक प्रार्थी के कब्जे-काश्त मे मजाहमत-मदाखलत पैदा न करे। और आराजी ख.नं 289 के लिए जाने वाले रास्ते मे व्यवधान पैदा ~~ना~~ करे नहि अन्य भूमि का बेचान करे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर ~~क~~ अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आये अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ पेश विवादित आराजी की जमाबंदी का अवलोकन व प्रार्थी वकील द्वारा की गई बहस का मनन करने के पश्चात निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी विवादित भूमि मे 1/2 का सहखातेदार है एवम प्रार्थी के कब्जे-काश्त मे अप्रार्थीगण द्वारा दखल देने व प्रार्थी द्वारा अपने लिए बनाये रहवास के लिए रास्ते मे व्यवधान से प्रार्थी को

मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम............ मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी ख.नं. 191/0.27, 192/0.26, 193/0.70, 194/0.42, 281/0.22, 282/0.30, 283/0.13, 284/0.13 285/0.24, 286/0.34, 287/0.26, 288/0.13, 289/0.26, 290/0.01 कुल किता 14 रकबा 3.67 है. वाके ग्राम गुडकोडी मे प्रार्थी के हिस्से 1/2 में बाधा उत्पन्न नही करने व प्रार्थी के आराजी ख.नं. 289 मे निर्मित रहवास के लिए आराजी ख.नं 281 व 282 मे निर्मित रास्ते मे कोई रुकावट पैदा करने के लिए दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	